previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp.& O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 सितम्बर, 2024

2. सड़कों का निर्माण या रख–रखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

संख्याः Shram(A)4-1/2024.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **सडकों** का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई / (क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01–04–2024** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2 / 2018–पी–II, तारीख 24–04–2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20–06–2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी **01–04–2024** से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01–04–2024** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैंः–

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकारः	**रुपए**	**रुपए**
भिशती / चिमनीक्लीनर / चौकीदार / डिस्टेम्पररग्रेड–II / गलेजियर / पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर / रोक कटिंग लेबर / स्टोन ब्रेकर / स्टोन चिस्लर / स्वीपर / बिटुमन के लिए स्प्रे	**400**	**12000**

मैन / पाइप लाईन मैन / इलैक्ट्रिकल कुली / सिक्योरिटी–गार्ड / बेलदार / क्लीनर ट्रैक्टर एवं रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर / मजदूर / सर्वे बॉय / वाचमैन / टी बॉय / पीअन (चपरासी) / ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) / खलासी (0 से 3 साल) / बल डिस्ट्रीब्यूटर / मक्कर ।		
अर्धकुशल कर्मकारः	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड–।। / मैसन ग्रेड––।। / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड––।। / सैनिटरी फिटर ग्रेड–।। / पेन्टर / मैल्टर मेट / स्प्रे–मैन रोडज / क्रेन–मैन / बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट / ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) / क्रेन–मैन / डिस्टैम्परर ग्रेड–। / फिटर ग्रेड–।। फलोर–पालिशर/ / स्टोन ड्रेसर / माली / वल–सिंकर / वहाइट–वाशर / वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड––।।, टर्नर–ग्रेड–।। / पाइप फिटर ग्रेड––।। / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन सहायक वैलडर / सहायक टर्नर / बैटरी चार्जर / ड्रैसर (अर्हित / अनुभवी) / हैमरमैन / कुक / वल्कनाईज़र / नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रोली आपरेटर / एटेन्डैन्ट(स्टोर आफिस) / मकैनिकल एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल–मैन / हैल्पर (5 साल और इससे अधिक) / आयल–क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड–वाचमैन / सहायक–लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन–ड्रैसर / पम्प–एटेन्डेन्ट / औटा इलैकिट्रीशियन ग्रेड–।। / गार्डनर / गेज–रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / औटो इलैकिट्रीशियन / मोटर–मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / स्टोन–डैशर	**425**	**12,750**
स्टोन–ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन–क्रेशर	**½ इंच से 2 इंच 2372 रुपए प्रति सौ घन फुट 1 इंच से 1¼ इंच रुपये 2646 रुपए प्रति सौ घन फुट**	
कुशल कामगारः	**रु0**	**रु0**
कारपेन्टर ग्रेड–। / मैसन ग्रेड–। / ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड–। / अप–होलसल्टर ग्रेड– । / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड.–।। / जल आपूर्तिफिटर कारपेन्टरग्रेड–।। / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड–। / दर्जी या टेलर ग्रेड–।। / क्रशर ड्राइवर / अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन–ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड–। / पाईप फिटर ग्रेड–। / आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर–आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड–।। / वर्कशाप फिटर / जनरेटर आपरेटर / जनरेटर–ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / क्रशिंग प्लांट फिटर / (बी0) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर–आपरेटर / शाफ़्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सक्रेपर–आपरेटर / लोडर आपरेटर / क्रेन–आपरेटर / युकलिड–आपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग–आपरेटर /	**464**	**13ए920**

एस॰एल॰डी॰ क्रेन आपरेटर / (बी0) प्लांट–आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर / खलासी / जमादार / वाइन्डर / ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर / कम्पाउन्डर / पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेवलरज सॉ मिल कटर / केबल जाइन्टर / फोरमैन ग्रेड––।। / खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / ई॰एम॰ई॰ / ड्राइवर / कम्प्रेसर / रौकर शोवेल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / लोको–आपरेटर / गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क–मिस्त्री / मोटर–मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी॰जी॰सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड–।।।.		
उच्च कुशल		
	रु॰	**रु॰**
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड–। / चार्ज मैन ग्रेड–। / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड–। / टर्नर ग्रेड–। / मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन / मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड–। / सर्वेयर / ड्राफटसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट / कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राईवर / वायरमैन / आटो इलैकिट्रीशियन / इलैकिट्रीशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	**553**	**16.590**
लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफः		
	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर–कीपर / स्टोर–मुंशी / सुपरवाइजर / मीटर–रीडर / लैजर बुकिंग क्लर्क / बिल–क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैन्डेन्ट / फैरो–प्रिंटर / ड्राइवर (जीप / कार / ट्रेकटर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा–लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	**464**	**13.920**

टिप्पणीः–

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।

6. गैर–जन जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवगों को मजदूरी न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी / लागू होगी।

7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओ में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल / अर्द्ध–कुशल / कुशल / उच्च–कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगीः–

(i) **अकुशलः** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्द्ध–कुशलः** अर्द्ध–कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशलः** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च–कुशलः** उच्च–कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(प्रियंका बासु ईंगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing"** may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024;**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as under:—

Category of Workers	**Revised Wages**	
	Daily	**Monthly**
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS :	**Rupees**	**Rupees**
Bhisthi/Chimini Cleaner/Chowkidar/Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar / Cleaner-Tractor & Road Roller & Concrete Mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ ea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker.	**400**	**12,000**
SEMI-SKILLED WORKER:	**Rupees**	**Rupees**
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/Badhani/Upholster/Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/Caneman/Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/Flour Polisher/Stone Dresser/Mali/Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/Assistant Fireman/Assistant Welder/ Assistant Turner/Battery Charger/Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel	**425**	**12,750**

Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto Electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = **Rs. 2372** per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. **2646** per 100 cft.		
SKILLED WORKERS :	**Rupees**	**Rupees**
Carpenter Grade-I/Mason Grade-I/Black Smith/Sanitary Fitter Grade-I/Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/Pump Operator/ Pump Driver/Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter/Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/Plumber Grade-I/Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/Asstt. Mechanic/Mixer Driver/Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter/Generator Operator/Generator Driver/Plant Shop Fitter/ Diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter /Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/Jack Hammer Fitter/Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ Refrigerator Plant Fitter/Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/Roclain Operator/ Scrapper Operator/Loader operator/ Crane Operator/Eucild operator/Wagon Drill Operator/Boaring Operator/SLD crane Operator/ B Plant Operator/Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/Black Smith/Tin Smith/Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/Khalssi/Jamadar/Winder/Blaster Driller/Winch Fitter/Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above)/Tracer Operator/E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate/Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II.	**464**	**13,920**
HIGHLY SKILLED	**Rupees**	**Rupees**
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	**553**	**16,590**
Clerical and non Technical Supervisory Staff	**Rupees**	**Rupees**
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector/Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	**464**	**13,920**

NOTE**:**—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.

6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.

7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

(i) **Unskilled**.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.—**A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled: --** A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.—**A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp.& O.P.).